

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/क्रिया/बोमी239.20/2019/2354

दिनांक :- 16/12/19

:: कार्यालय आदेश ::


संचालक मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.20 में मण्डल के नियमित, सेवानिवृत्त एवं वर्कचार्ज कार्मिकों को चिकित्सा हेतु मण्डल द्वारा निजी क्षेत्रों के अधिकृत अस्पतालों में सी.जी.एच.एस. (Central Govt. Health Scheme) के तहत निर्धारित दरों पर उपचार उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मण्डल द्वारा वर्तमान में उपचार हेतु स्वीकृत अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. के तहत निर्धारित दरों पर ही उपचार उपलब्ध करवाना होगा। उक्त निर्णय की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त आदेश दिनांक 15.01.2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा.आ.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-..... रा.आ.मं.,
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.मं.,
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मं.,
6. संबंधित अधिकृत अस्पताल..... |
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय..... |
8. मण्डल से अधिकृत अस्पताल |
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक